भारत सरकार के राजपत्र के खण्ड- ॥ भाग-। में प्रकाशित होना है

फा. सं प्रशासन/ त्यागपत्र/ 10/2/2007/ 01 आ. नि. (प.) - 20622

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली

दिनांक, 6/03/2017

अधिसूचना संख्या 03/2017

प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) के अधीन पदस्थापित श्री गिरिश प्रसाद, उप- निदेशक (पद्धति) ने स्वीकृत की गयी छुट्टी के समाप्त हो जाने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत नहीं किया है और दिनांक 19.08.2000 से आज तक लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 12 (2) के साथ पठित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 29.03.2012 की अधिसूचना जी एस आर 261 (ई) की शर्तो के अनुसार जिसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई सरकारी कर्मचारी जो विदेश सेवा के अन्यथा, छुट्टी के साथ अथवा छुट्टी के बिना, लगातार पांच वर्ष की अवधि से अधिक के लिए ड्यूटी (सेवा) से अनुपस्थित रहता है, तो उसका सरकारी सेवा से त्यागपत्र समझा जाएगा, वशर्ते उप नियम (2) के प्रावधानों को लागू करने से पहले उस सरकारी कर्मचारी को ऐसी अनुपस्थिति के लिए कारणों को स्पष्ट करने के उचित अवसर दिया गया हो।

3. श्री गिरिश प्रसाद के मामले में, त्यागपत्र आयकर निदेशालय (पद्धति) में दिनांक 20.03.2007 प्राप्त हुआ। तदानुसार यह देखा गया कि उक्त त्याग पत्र लगातार अनधिकृत अनुपस्थिति के पांच वर्षो की अधिक अवधि के बाद दाखिल किया गया। विभाग के पास उपलब्ध पते पर आयकर निदेशालय (पद्धति) ने दिनांक 25.06.2009 के पत्र संख्या 1/4/उप-निदेशक जी पी/90- आ नि (प.)- 4301 और दिनांक 31.05.2012 के पत्र फाईल संख्या 10/02/2007/01/आ.नि(प.) 3952 के एतत् द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जवाब में उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इसके मामले में डयूटी से अनाधिकृत रूप से रहने के लिए नोटिस और केन्द्रीय सिविल सेवा(छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 12 के उपनियम (2) के प्रावधानों को आरम्भ करने और दिनांक 23.12.2016 को समाचार पत्रों अर्थात् टाइम्स ऑफ इन्डिया (अंग्रेजी), हिन्दुस्तान टाइम्स (अग्रेजी), और नवभारत टाइम्स (हिन्दी) और दैनिक भास्कर (हिन्दी) में भी प्रकाशित किया गया था जिसमें श्री गिरिश प्रसाद उप- निदेशक(पद्धति) को उसके लम्बे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारणों को स्पष्ट करने के अवसर प्रदान किए गए थे और केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 12 के उपनियम 2 के अधीन दिनांक 19.08.2000 से क्यों न उनके अनुपस्थित रहने को त्यागपत्र समझा जाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। तथापि श्री गिरिश प्रसाद उप-निदेशक(पद्धति), दिल्ली से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

4. श्री गिरिश प्रसाद ने स्वीकृत की गयी छुट्टी की अवधि समाप्त हो जाने के बाद ड्यूटी का कार्यभार ग्रहण नहीं किया और दिनांक 19.08.2000 से अर्थात् पांच वर्षो से अधिक की लगातार अवधि के लिए ड्युटी से अनधिकृत रूप रो लगातार अनुपस्थित है।

5. इसलिए, केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 12(2) के साथ पठित कर्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.03.2012 जी एस आर 261 (ई) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति संतुष्ट है कि श्री गिरिश प्रसाद को लगातार अनुपस्थित रहने पर दिनांक 19.08.2000 से उनका त्याग- पत्र माना जाएगा।

6. श्री गिरिश प्रसाद सेवानिवृति सम्बधी कोई लाभ पाने के हकदार नहीं होगें।

[कमलेश कुमार]

भारत सरकार के अवर सचिव

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार का प्रेस
मायापुरी, नई दिल्ली

[अधिसूचना संख्या 2017 का 03 , फा.स. प्रशासन/ त्यागपत्र/10/2/2007/01- आ.नि. (प.)]

प्रतिलिपि

सेवा में,

1. (प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मुम्बई के माध्यम से) संबंधित अधिकारी
2. प्रधान आयकर महानिदेशक (प.)/ प्रधान आयकर महानिदेशक (सतर्कता) के निजी सचिव।
3. वेबसाइट प्रबन्धक, आयकर निदेशालय (पद्धति), नई दिल्ली
4. अधिसूचना फोल्डर